आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई मध्य
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CENTRAL EXCISE, MUMBAI CENTRAL
वस्तु एवं सेवा कर भवन, 115, महर्षि कर्वे मार्ग,
GST BHAVAN, 115, MAHARSHI KARVE ROAD,
चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुम्बई 400020
OPP. CHURCHGATE STATION, MUMBAI 400 020

सत्यमेव जयते

राष्ट्र कर बाज़ार

फा. सं. II/39 हिन्दी 5(4)/2007/15-ti
मुंबई, दिनांक 15.05.2025

सेवा में,
मुख्य आयुक्त कार्यालय
सभी अपर/उप/सहायक आयुक्त,
मुख्यालय तथा मण्डल प्रभारी,
सभी अनुभाग प्रमुख, मुख्यालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क
मुंबई मध्य

महोदय/महोदया,

विषय:- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम का संप्रेषण।

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राजभाषा की आधिकारिक वैबसाइट से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम की प्रति आपकी अगली कार्रवाई, सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न की जा रही है।

2. आपसे अनुरोध है कि पत्र मे निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करें तथा आपके द्वारा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ।

सधन्यवाद

भवदीय
संजय प्रजापति 15-5-2025
(संजय प्रजापति)
सहायक आयुक्त , राजभाषा

संलग्न:- यथोपरि

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 60% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11. वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13 (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	45%	35%	25%
			(न्यूनतम अनुभाग)	
			सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।	